न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : स्वदीप सिंह,
अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी 43–पीबीआर/2013 विरूद्ध आदेश दिनांक 6–11–2012 पारित द्वारा तहसीलदार, गोविंदपुरा वृत भोपाल प्रकरण क्रमांक 21/अ–12/2010–11.

.....

राजसम्राट गृह निर्माण सहकारी संस्था द्वारा
अध्यक्ष उमेश सिंह राजपूत पुत्र सुंदर लाल राजपूत
निवासी म.न्र. 67, लाला लाजपतराय कॉलौनी
रायसेन रोड, भोपाल .....आवेदक

विरूद्ध

मेसर्स संस्कार बिल्डर्स एण्ड डेवलपर्स द्वारा पार्टनर
बलविंदर सिंह पुत्र जितेंद्र सिंह
निवासी म.नं. 134, जोन–2
एम.पी. नगर, भोपाल .....अनावेदक

श्री राकेश गिरी, अभिभाषक, आवेदक
श्री दिनेश सिंह चौहान, अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(पारित दिनांक 10 अप्रैल, 2014)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार, गोविंदपुरा वृत भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 6–11–2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक संस्था द्वारा तहसीलदार, गो.वृ. भोपाल के समक्ष इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि उसके स्वामित्व की भूमि ग्राम हताईखेड़ा, तहसील हुजूर जिला भोपाल स्थित सर्वे क्रमांक 208/15/1/2–क रकबा 0.289 हेक्टेयर है । पटवारी रिकार्ड में उक्त भूमि पर नक्शे में बटान अंकित नहीं है.

अतः भूमि का बटान अक्स में किया जाये । तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 21/अ–12/2010–11 पंजीबद्ध किया जाकर कार्यवाही प्रारंभ की गई, और अधीक्षक, भू–अभिलेख को बटान प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये । अधीक्षक, भू–अभिलेख द्वारा दिनांक 28–6–2012 को बटांकन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया । तहसीलदार द्वारा बटान प्रस्ताव के संबंध में सहखातेदारों को नोटिस जारी किया गया । इस संबंध में आवेदक द्वारा उपस्थित होकर व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 13 नियम 10 सहपठित धारा 32 के अंतर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि आवेदक द्वारा अपने पक्ष में साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु विभिन्न कार्यालयों के दस्तावेज एवं मूल प्रकरणों को आहूत करना आवश्यक है । अतः उक्त दस्तावेज एवं मूल प्रकरणों को मंगाया जाये । तहसीलदार द्वारा दिनांक 6–11–2012 का आदेश पारित कर इस आशय का निष्कर्ष निकालते हुए कि चूंकि बटांक प्रकरण का निराकरण मौके के कब्जे के आधार पर एवं अन्य सुसंगत साक्ष्य जो पक्षकार पेश करें, के आधार पर किया जाना है, आवेदक द्वारा चाहे गए प्रकरणों को आहूत करने का असीमित अधिकार तहसील न्यायालय को नहीं है एवं उसमें अत्यधिक समय भी लगेगा इसलिए यदि आवेदक चाहे तो स्वयं उक्त प्रकरणों की सत्यप्रतिलिपि पेश कर सकता है, आवेदक द्वारा उक्त आवेदन पत्र प्रकरण को विलंबित करने की दृष्टि से पेश किया गया है, आवेदन पत्र निरस्त किया गया और प्रकरण साक्ष्य हेतु नियत किया गया । तहसील न्यायालय के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि आवेदक के द्वारा कय की गई है, और बटांकन भी हो गया है । टाउन एण्ड कंट्री प्लानिंग से नक्शा भी स्वीकृत हो चुका है, और तहसील न्यायालय द्वारा इसी भूमि का पुनः बटांकन किया जा रहा है । अतः आवेदक द्वारा व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 13 नियम 10 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र में उल्लेखित प्रकरणों को मंगाया जाना आवश्यक है ताकि उन प्रकरणों के अवलोकन से वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सके, परन्तु तहसील न्यायालय द्वारा आवेदन पत्र निरस्त करने में अवैधानिकता की गई है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक संस्था द्वारा स्वीकृत नक्शे के हिसाब से कॉलौनी का विकास कर लिया गया है, और अनावेदक द्वारा वहीं भूमि कय की गई है, जो कि आवेदक संस्था पूर्व में

कय कर चुकी है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि पटवारी द्वारा बिना आवेदक को सुनवाई का अवसर दिये प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है, जो कि उचित कार्यवाही नहीं है ।

4/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि का सीमांकन नहीं हुआ है, और आवेदक द्वारा उसके पक्ष में किस प्रकरण क्रमांक से बटांकन स्वीकृत हुआ है, उसका उल्लेख आवेदन पत्र में नहीं किया गया है । यह भी कहा गया कि आवेदक को 2 माह का समय सत्यप्रतिलिपि प्रस्तुत करने हेतु दिया गया था, परन्तु उसके द्वारा आवेदन पत्र में उल्लेखित प्रकरणों की सत्यप्रतिलिपि प्रस्तुत नहीं की गई है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि का बटान नहीं हुआ है, क्योंकि आवेदक वर्ष 1988 से भूमिस्वामी होना बतला रहा है, अतः उसके द्वारा प्रश्नधीन भूमि का बटान कराया होगा, परन्तु बटान प्रकरण की मांग नहीं की गई है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसील न्यायालय के प्रकरण के पृष्ठ 92 पर आवेदक की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र संलग्न है । उक्त आवेदन पत्र में आवेदक द्वारा अधिकतम कृषि भूमि सीमा अधिनियम, 1976 की धारा 20 (1) के तहत प्रचलित हुए प्रकरण क्रमांक 3/88 धारा 10–11 (न.भू.सी. 88) आदेश दिनांक 21–2–88, नगर तथा निवेश से भूमि का उपयोग प्रमाण पत्र संबंधी प्रकरण क्रमांक 891/नजूल/बी–121/91–92 आदेश दिनांक 16–11–92, कलेक्टर द्वारा कॉलौनी विकास करने की अनुमति संबंधी प्रकरण, संचालनालय तथा नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा अनुमोदित नक्शा एवं नक्शे के संबंध में हुए डिमार्केशन से संबंधित सम्पूर्ण नस्ती एवं प्रकरण क्रमांक 151/अ–2/88–89 में पारित आदेश दिनांक 20–7–92 मंगाए जाने का निवेदन किया गया है । इस संबंध में तहसीलदार द्वारा निकाला गया निष्कर्ष पूर्णतः विधिसम्मत है कि उपरोक्त अनेक कार्यालयों से संबंधित प्रकरण बुलाये जाने का असीमित अधिकार तहसीलदार को नहीं है, और उक्त प्रकरण बुलाया जाना व्यवहारिक दृष्टि से उचित भी नहीं है, क्योंकि उक्त प्रकरण मंगाये जाने में अत्यधिक विलम्ब लगेगा । आवेदक को सूचना दिये 2 माह का समय व्यतीत हो चुका है, और यदि आवेदक चाहता तो समय रहते उक्त प्रकरणों की सत्यापित प्रतिलिपि पेश कर सकता था, ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक द्वारा प्रकरण को विलंबित रखने की दृष्टि से उक्त कार्यवाही को किया गया है । उपरोक्त निष्कर्ष के परिप्रेक्ष्य में तहसीलदार द्वारा आवेदक

का आवेदन पत्र निरस्त करने में विधिसंगत कार्यवाही की गई है । इसके अतिरिक्त तहसीलदार द्वारा अपने आदेश में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि आवेदक चाहे तो उक्त प्रकरणों की एवं दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपि पेश कर सकता है, और प्रकरण साक्ष्य हेतु नियत किया गया है । इस प्रकार तहसीलदार द्वारा प्रकरण का अंतिम निराकरण किया जाना है, जहां आवेदक को साक्ष्य का पर्याप्त अवसर उपलब्ध है, और वे अपने पक्ष समर्थन के लिए उपरोक्त प्रकरणों में पारित आदेश एवं संबंधित नस्तियों की सत्य प्रतिलिपि प्राप्त कर प्रस्तुत कर सकते हैं । दर्शित परिस्थितियों में तहसीलदार द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित आदेश होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार, गोविंदपुरा वृत भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 6–11–2012 स्थिर रखा जाता है। निगरानी निरस्त की जाती है ।

(स्वदीप सिंह)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर